



2026:AHC-LKO:12367-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय
लखनऊ
रिट - सी सं. - 1396/2026

राकेश कुमार

.....याचिकाकर्ता (गण)

बनाम

प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण
मुख्यालय, कानपुर और 2 अन्य

.....प्रतिवादी (गण)

याचिकाकर्ता (गण) के अधिवक्ता	:	शेष मणि शुक्ला
प्रतिवादी (गण) के अधिवक्ता	:	मनोज साहू, कुंवर सुशांत प्रकाश

न्यायालय सं. - 1

माननीय न्यायमूर्ति राजन राय

माननीय न्यायमूर्ति अबधेश कुमार चौधरी

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता और उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण के विद्वान अधिवक्ता श्री कुंवर सुशांत प्रकाश को सुना, जिन्होंने आज प्राधिकरण की ओर से वकालतनामा दाखिल किया है।

2. एक अलग भूखंड से संबंधित याचिकाकर्ता द्वारा दायर रिट-सी सं. 1534/2026 वाली ऐसी ही एक रिट याचिका दिनांक 16.02.2026 को इस आधार पर खारिज कर दी गई थी कि उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास अधिनियम, 1976 की धारा 12 और उत्तर प्रदेश



शहर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा 41 के अंतर्गत उपाय उपलब्ध हैं, इसलिए, इस रिट याचिका को भी उक्त आधार पर खारिज किया जाता है।

(न्यायमूर्ति अबधेश कुमार चौधरी) (न्यायमूर्ति राजन रॉय)

17 फरवरी 2026

अनुज सिंह

Translated Version. Not for Legal Use.